

दिनांक

आदेश

अभ्युक्ति

01/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक सिदिऊ हेम्ब्रोम, पिता-स्व० छोटा विजय हेम्ब्रोम उर्फ छोटा विजय हो, ग्राम-आयता, थाना-मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा-आयता, थाना नं०- 115, खाता न०- 63, प्लॉट न०- 55, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि क्रेता प्रतिभा तिग्गा, पति- अवधेश कुमार गोंड, ग्राम- न्यू कॉलोनी टूंगरी मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1178, दिनांक 26.11.2020 के द्वारा प्राप्त है। बच्चों को उच्च शिक्षा एवं गृह कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता प्रतिभा तिग्गा, पति- अवधेश कुमार गोंड, ग्राम- न्यू कॉलोनी टूंगरी मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा के पास 80,000.00/- (अस्सी हजार) रुपया मात्र में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 2.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सिदिऊ हेम्ब्रोम, पिता- स्व० छोटा विजय हेम्ब्रोम उर्फ छोटा विजय हो, ग्राम- आयता, थाना मुफ्फसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- आयता, थाना नं०- 115, खाता न०- 63, प्लॉट न०- 55, रकवा- 0.20 एकड़ भूमि को क्रेता प्रतिभा तिग्गा, पति- अवधेश कुमार गोंड, ग्राम- न्यू कॉलोनी टूंगरी मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा जिला- पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।